



BUDAUN POLICE



दिनांक 14 फरवरी 2024

बदायूँ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई ।

पुलिस महानिदेशक उ०प्र० महोदय द्वारा चलाए जा रहे **“ऑपरेशन कन्विकशन”** अभियान के दृष्टिगत बदायूँ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में थाना जरीफनगर पर पंजीकृत/जनपद स्तर पर चिन्हित मु०अ०सं० 491/18 धारा 376 भादवि में दोष सिद्ध पाए जाने पर मा०न्यायालय बदायूँ द्वारा दिनांक 14 फरवरी 2024 को अभियुक्त प्रेमपाल पुत्र धनपाल निवासी मदारपुर थाना जरीफनगर जनपद बदायूँ को **10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10,000/- रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

घटना का विवरण:- अभियुक्त द्वारा वादिनी/पीडिता को अपने खेत पर ले जाकर बलात्कार करना ।

- अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री उदयभान सिंह तथा विवेचक क्षेत्राधिकारी सहसवान श्री मुन्नालाल व पैरौकार थाना जरीफनगर का सराहनीय योगदान रहा है।